बिहार में जन जातियों के लोगों की हत्यायें

2444. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अब तक बिहार में कैमूर पहाड़ियों में जन-जातियों के लागभग 400 व्यक्ति मार दिए गए हैं ; और

(ख) इस क्षेत्र में ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

2445. [*Transferred to the 4th December*, 1986].

हरिजनों की हत्यायें

2446. **श्री शरद यादव**: क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17-9-1986 के जनसत्ता (दिल्ली संस्करण) में "हरिजन मारे गए, पर सरकार की खुमारी नहीं उत्तरी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित और इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गांव जारी, कटक, उड़ीसा में 12 सितम्बर, 1986 को मारे गए कुल व्यक्तियों में तीन हरिजन थे और घायल हुए व्यक्तियों में से तीन-चौथाई हरिजन थे और जला कर राख किए गए 224 मकानों में से 219 मकान हरिजनों के थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया है तथा उन्हें मुआवजे की कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या सरकार ने उनके परिवारों के पुनर्वास हेतु कोई व्यवस्था की है और उनमें आत्म विश्वास जाग्रत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है : और

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जारी गांव में घटना होने के तुरन्त बाद घायल हुए व्यक्तियों के उपचार के लिए मुख्य मंत्री मंत्री राहत कोष से 19,800 रु. का नकद अनुदान स्वीकृत किया गया था। अनुसूचित जाति के मृतक व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को 10,000 रु. की अनुग्रह राशि दी गई है। अनुसूचित जाति के प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1000 रुपये की सहायता दी गई है। प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को कुल 3,65,315 रुपये तक का अग्नि-राहत अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों के वितरण के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में से 1.33 लाख रुपये भी स्वीकृत किये गए हैं। उड़ीसा की राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुर्नवास का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। राज्य के मुख्य और केन्द्रीय मंत्री कल्याण मंत्री एवं कल्याण उप मंत्री ने लोगों में पुनः विश्वास लाने के लिए जारी गांव का दौरा किया था।

(घ) इस संबंध में 47 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

पिछड़े वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2447. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी से इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले गरीब आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और अन्य लोगों को पैकेज वाली वस्तुएं उन पर अंकित मूल्य पर नहीं मिलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्माताओं की हाल ही में कोई बैठक बुलाई गई थी ;

(घ) यदि हा, तो ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए किन-किन व्यक्तियों को बुलाया गया था ; और

(ङ) इन बैठकों में किन-किन मामलों पर चर्चा की गई तथा कौन-कौन से निर्णय लिये गये तथा इन निर्णयों को कब और किस प्रकार कार्यान्वित किया गया था अथवा इन्हे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सरकार को अंडमान और निकोबार प्रशासन से यह संदर्भ प्राप्त हुआ है कि कई मामलों में उपभोक्ताओं को पैकशुदा वस्तुएं विनिर्माताओं द्वारा मुद्रित/प्रदर्शित मूल्यों पर नहीं मिल रही हैं । पैकशुदा वस्तुओं के प्रमुख विनिर्माताओं की एक बैठक 30 अक्तूबर 1986 को बुलाई गई थी । यह निर्णय किया गया कि विनिर्माता तत्काल अपने वितरण/विक्रय की व्यवस्था और खुदरा विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन की पुनरीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पहले से पैक की गई स्थिति में बेचे जाने वाले उनके उत्पाद दूरस्थ तथा दूर तक फैले हुये क्षेत्रों, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है, में मुद्रित मूल्यों पर बेचे जायें । आमंत्रित व्यक्तियों की सूची विवरण में दी गई है ।

विवरण

आमंत्रितों की सूची

1. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड,
   हिन्दुस्तान लीवर हाऊस, 165–166,
   बैकहे रीलामेशन,
   बम्बई–400020.

2. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स लिप्टन इंडिया लिमिटेड,
   कलकत्ता ।

3. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स हरकरन दास दीप चन्द (प्रा०) लि०,
   455, खारी बावली,
   दिल्ली–6 ।

4. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स पार्के डेविस (इंडिया लि०),
   सकी नाटा,
   बम्बई–400072 ।

5. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स इंपीयिल कैमीकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,
   34, चौपरिंघी रोड,
   कलकत्ता–700071 ।

6. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स अम्बाला साराभी इंटर-प्राइजेज लि०,
   बम्बई–400038 ।

7. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स पराग आयल मिल्स,
   कलकत्ता ।

8. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज,
   मद्रास ।

9. प्रबंध निदेशक,
   मैसर्स विप्रो इंडिया लिमिटेड,
   बंगलौर ।

10. प्रबंध निदेशक,
    नामबीसन्स डेरी,
    मद्रास ।

11. प्रबंध निदेशक,
    मैसर्स गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि०,
    1210, नई दिल्ली हाउस,
    27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।

12. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कोआपरेटिव फैडरेशन लि०,
हैदराबाद ।

13. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स किसान प्रोडक्ट्स लि०,
बंगलौर ।

14. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स मंघारा एंड सन्स,
बंगलौर ।

15. प्रबंध निदेशक,
मसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज,
17, तारातोला स्ट्रीट,
कलकता ।

16. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स सुंदर फूड प्रोडक्ट्स,
हैदराबाद ।

17. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स वोल्टास,
बंगलौर ।

18. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स हाइजनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बम्बई–400001

19. मैसर्स जिराफ़ेकेरी मनर्स एंड कम्पनी लि०,
5, नरोत्तम मोरारजी मार्ग,
बम्बई–400038

20. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स नहीरा (कासमेटिक) इंटर-प्राइजिज,
(प्रा० लि०) 14, स्ट्रेक रोड,
बम्बई–400031

21. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स पी० बनर्जी मिहिजान,
109 डी 5, एस पी मुकर्जी रोड,
कलकता–700026

22. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स एम एल बोस एंड कम्पनी प्रा० लि०,
कलकता ।

23. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स सूर्य कमीकल वर्क्स,
कलकता ।

24. प्रबंध निदेशक,
एच०एम०एम० लि०,
नाभा–147201

25. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स लाक्टो कॉसमटिक्स (वी ए पी आई) प्रा० लिमिटेड,
टाउनशिप वापी–396195

26. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स डाबर (डा० एस०के० बर्मन प्रा० लि०),
नई दिल्ली–110002

27. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स डेज मेडिकल स्टोर 6/2, बी, नेली सेन गुप्ता सरानी,
कलकत्ता–87

28. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स प्लाजा कमिकल इंडस्ट्रीज,
34/1 डी, कोलोटोला स्ट्रीट,
कलकता ।

29. प्रबंध निदेशक,
मट्रो परफ्यूमरी कम्पनी (इंडिया),
मैट्रो बिल्डिंग,
मोरी गेट,
दिल्ली–110006

30. प्रबंध निदेशक,
मसर्स के०होर्स एंड कम्पनी,
कलकता–14

31. प्रबंध निदेशक,
बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल लि,
कलकत्ता–700054

32. प्रबंध निदेशक,
सन्नी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,
कलकत्ता–700025

33. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोलफेक्स लेब्रोटोरीज इंडिया प्रा० लि०, फोण्डा, गोवा ।

34. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कासमेटिक एंड टोइलेट कारपोरेशन, 3 के बी लेन,
कलकत्ता–37

35. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स विक्को लेब्रोटोरीज,
12, धरम पुत्र,
डा० अम्बेदकर रोड, दादर,
बम्बई–400014

36. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स इंडियन कासमेटिक,
35/जे, राजा नवा कृष्णन स्ट्रीट,
कलकत्ता–70005

37. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स पिडीलिटी इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
बम्बई–400021

38. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स अमृतांजन लि०, 42–45,
लुज चुग्रोल रोड, मद्रास–600004

39. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स कोठारी प्रोडक्टस प्रा0लि0,
24/19, थेमाहल, कानपुर – 208006.

High Level Committee On the ICAK

2448. SHRl NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) the names of the members including its Chairman of the High Level Committee which was set up some time back to examine the working of ICAR and what is the terms of Offlce of the Chairman; and

(b) by when a report is likely !o be submitted by he siad Commitee?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI Y0-GENDRA MAKWANA): (a) and (b) The matter i$ under consideration ?tid details will be furnished as soon it is finai'sed.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का सुझाव

2449. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1986 में सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद्, आलमबाग, लखनऊ के अध्यक्ष की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां । परिषद् की कुछ मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(i) उचित दर की दुकानों के मालिकों के मार्जिन में वृद्धि की जाए ।

(ii) बैंक ड्राफ्ट के कमीशन का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए ।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(iv) उचित दर की दुकान के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही केवल तभी आरम्भ की जाए जब कोई विशेष आरोप प्रमाणित हो जाए ।